न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 126/2017 दायरा दिनांक : 11.09.2017

उनवान

1– कालू पुत्र औकार दत्तक पुत्र हजारी, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– लक्ष्मण पिता कंवरिया, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– गोमदा पिता कंवरिया, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– गोपीलाल पिता कंवरिया, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बद्री लाल वल्द भंवर लाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– मदन लाल वल्द भंवर लाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– फूल चन्द वल्द भंवर लाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– वीरम वल्द भंवर लाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– मनोज नाबालिग वली माता मांगी बाई पत्नी रामरतन, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– पवन नाबालिग वली माता मांगी बाई पत्नी रामरतन, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

7– मांगी बाई बेवा रामरतन, जाति लोधा, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– शाखा प्रबन्धक सी बी आई बैंक शाखा मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 67/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के राजस्व लोक अदालत कैम्प आंवलहेड़ा में ग्राम बिसलाई की खसरा नम्बर 58 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी में पन्ना आत्मज औंकार के बजाय पन्ना आत्मज खेमा दर्ज करने एवं उसके हिस्से की आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । अपीलांट द्वारा कैम्प पर कोई लिखित में समझौता या सहमति पत्र पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था । वादीगण ने पन्ना की वल्दियत में दुरूस्ती चाह कर खातेदार घोषित होने बाबत दावा किया है जबकि पन्ना के द्वारा अपने जीवनकाल में कोई संशोधन नहीं

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

कराया उसके पुत्र नन्दा व भंवरलाल ने भी कोई संशोधन नहीं करवाया अब तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति वादीगण बिना आधार के संशोधन करवाना चाहते हैं जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट वादी द्वारा पुराना कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे कि विवादित आराजी पर पन्ना वल्द औंकार के बजाय, पन्ना वल्द खेमा दर्ज किया जावे । जबकि सही स्थिति यह है कि पन्ना वल्द औंकार की जगह कालू वल्द औंकार दर्ज होना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2017 को निर्णय व डिक्री पारित की है । विवादग्रस्त आराजी ग्राम बिसलाई की खसरा नम्बर 58 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में पन्ना आत्मज औंकार के बजाय पन्ना आत्मज खेमा दर्ज किया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.06.2017 को पत्रावली फाईल तलबी में थी और दिनांक 15.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय में कोई राजीनामा एवं सहमति पत्र पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर हैं इनको किसी ने भी आईडेन्टीफाई नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर माना कि पन्ना के पिता का नाम औकार था या खेमा था इस बाबत कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलांट के हस्ताक्षर है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में सहमति भी दी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा लोक अदालत केम्प आवलहेडा में उपस्थित होकर जाहिर किया कि मृतक खातेदार पन्ना के पिता का नाम औंकार नहीं होकर खेमा है । मृतक पन्ना के वारिसान वादीगण ही हैं । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजी रेकार्ड का हवाला निर्णय में नहीं दिया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि मृतक पन्ना के पिता औंकार नहीं होकर खेमा है । अतः बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनवायी, साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करे एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा